20रु. कोर्ट फीस COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

20रु. कोर्ट फीस COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

(106)

समक्ष श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर मध्यप्रदेश

राजस्व प्रकरण कमांक............../2019

अपील-0329/2019/नरसिंहपुर/भू.रा.सं.

अपीलार्थी : कमलेश पिता श्री गेंदालाल किरार उम्र लगभग 36 वर्ष, निवासी डोभी, तहसील तेंदुखेड़ा जिला नरसिंहपुर म.प्र.

विरूद्ध

उत्तरवादी :

1. श्रीमान अतिरिक्त महोदय जबलपुर संभाग जबलपुर म.प्र.
2. श्रीमान कलेक्टर, नरसिंहपुर जिला नरसिंहपुर म.प्र.
3. श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी तेंदुखेड़ा जिला नरसिंहपुर म.प्र.
4. श्रीमति दुर्गाबाई पुत्री फूलसिंह जोगी निवासी तेदुंखेड़ा जिला नरसिंहपुर म.प्र.

आवेदन अंतर्गत धारा 44(2) भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त अपीलार्थी निम्न विनय करता हैः-

यह कि, अपीलार्थी उक्त अपील अतिरिक्त आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर के प्रकरण कमांक 935-बी/121/2013-14 से व्यथित होकर माननीय

25 FEB 2019 27 FEB 2019

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक – 329 / 2019 / नरसिंहपुर / अपील / भू.रा. /

थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं आदि के हस्ताक्षर
11-04-19	अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर व्दारा प्रकरण कमांक 939/2013-14 बी-121 अपील में पारित आदेश दिनांक 13-12-2018 के विरूद्ध यह तीसरी अपील म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। अपील की ग्राह्यता पर अपीलांट के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। 2/ अपीलांट के अभिभाषक के प्रारभिक तर्को के परिप्रेक्ष्य में उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी तेन्दुखेड़ा जिला नरसिंहपुर ने मूल न्यायालय की हैसियत से प्रकरण कमांक 1729 ब-121/2011-12 में आदेश दिनांक 3-1-2013 पारित किया है। इस आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील कलेक्टर नरसिंहपुर के समक्ष प्रस्तुत हुई है। कलेक्टर नरसिंहपुर ने प्रकरण कमांक 9 ब 121/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 25-6-2014 से अपील प्रकरण का निराकरण किया है। कलेक्टर नरसिंहपुर के आदेश दिनांक 25-6-2014 के विरूद्ध अपीलांट ने द्वित्तीय अपील अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत की है। अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर ने प्रकरण कमांक 939/2013-14 बी-121 अपील में पारित आदेश दिनांक 13-12-2018 से अपील प्रकरण का निराकरण किया है, जिसके विरूद्ध यह तृतीय अपील है। म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 44 में तीसरी अपील का प्रावधान नहीं है। हालॉकि अपीलांट के अभिभाषक ने अपील को निगरानी में बदलकर सुने जाने की प्रार्थना भी नहीं की है यदि अपील को निगरानी में सुने जाने वावत् विचार किया जाय – म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 (यथा सॅशोधन अधिनियम प्रभावशाली दिनांक	

25-9-2018) के अनुसार धारा 50 में निम्नानुसार व्यवस्था दी गई है-

धारा 50 (2) पुनरीक्षण के लिये कोई आवेदन -

(क) इस संहिता के अधीन अपीलीय किसी आदेश के विरूद्ध,

(ख) इस संहिता के अधीन द्वित्तीय अपील में पारित किसी आदेश के विरूद्ध ।

ग्रहण नहीं किया जायेगा।

संहिता में हुये उक्तानुसार सॅशोधन के फलस्वरूप तथा संहिता की धारा 44 में तीसरी अपील का प्रावधान न होने से अपील अग्राह्य है जो अमान्य की जाती है।

सदस्य